संख्या–1138 /XVI/07/7(43)/07

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 3 | दिसम्बर,2007

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0701–अधिष्ठान की उपमानक मद 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु प्रथम अनुपुरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0–300.00 हजार की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2947/रेशम/तक0अनु0/2007–08,दिनांक–10 अक्टूबर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि रेशम विभाग के विभिन्न कार्यालयों में संविदा के आधार पर उपसुल के माध्यम से कार्यरत विभिन्न कार्मिकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में 0701–अधिष्ठान योजना की उपमानक मद 16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित कुल रू0–300.00 हजार (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII (1)/2007, दिनांक–12 जुलाई, 2007 **(छाया प्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

....2/–

7– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0701–अधिष्ठान की उपमानक मद–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–286(NP)/XXVII/2007,दिनांक–26,दिसम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1130/XVI/07/7(43)/07/तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।